

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/  
तक. 114-009/2003/20-1-03.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 166]

रायपुर,, बुधवार,, दिनांक 15 जुलाई 2009 – आषाढ 24, शक 1931

## छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग जी. ई. रोड, सिविल लाईन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 जुलाई 2009

क्रमांक 29/सी.एस.ई.आर.सी./2009—विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86 की उपधारा (1) के खण्ड (जी) सहपठित 181 (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (शुल्क एवं प्रभार) विनियम, 2004 (वर्ष 2004 का क्रमांक 5) नामक विनियम दिनांक 16.02.2005 को अधिसूचित किया था। अपने अनुभवों, सजग पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लागू होने के कारण भी, युक्तियुक्त शुल्क एवं प्रभारों का अधिरोपण सुनिश्चित करने, हेतु इन विनियमों के पुनरीक्षण की आवश्यकता हुई। अतः आयोग ने अपनी उपरोक्त शक्तियों का प्रयोग कर शुल्क एवं प्रभारों के अधिरोपण हेतु निम्नलिखित नये विनियमों का निर्माण किया है। ये विनियम, इस विषय पर दिनांक 16.02.2005 को अधिसूचित पूर्ववर्ती विनियमों को अतिस्थापित करेंगे।

## छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (शुल्क एवं प्रभार) विनियम, 2009

### 1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारम्भ एवं विस्तार

- (1) इस विनियम को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (शुल्क एवं प्रभार) विनियम, 2009 कहा जायेगा।
- (2) ये विनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में अपने प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

- (3) इनका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।
- (4) ये विनियम, आयोग के समक्ष प्रस्तुत समस्त आवेदनों एवं याचिकाओं सहित विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन आयोग के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी मामलों पर लागू होंगे।

## 2. परिभाषाएं

- (1) इन विनियमों में जब, तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –
  - (1) “अधिनियम” से अभिप्रेत है, समय-समय पर यथा संशोधित विद्युत अधिनियम, 2003 (वर्ष 2003 का क्रमांक 36)
  - (2) “आयोग” से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
  - (3) “शुल्क एवं प्रभार ” से अभिप्रेत है, अनुसूची 1 एवं 2 में दर्शित शुल्क एवं प्रभार।
- (2) शब्दों व अभिव्यक्तियों, जो ऊपर परिभाषित नहीं किये गये हैं, उनका अर्थ वही होगा जैसा कि अधिनियम और/या छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2004 में है।

## 3. याचिका/आवेदन पर शुल्क

- (1) आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली प्रत्येक याचिका/आवेदन को इस विनियम की अनुसूची 1 और/अथवा 2 में उल्लेखित शुल्क या प्रभार के साथ देना होगा।
  - (2) इस विनियम के तहत भुगतान किए जाने वाले शुल्क या प्रभार का भुगतान रायपुर में देय बैंक ड्राफ्ट या पे-आर्डर या एकाउंटपेयी चैक के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग को करना होगा अथवा रूपये पांच हजार से अधिक राशि न होने की दशा में भुगतान नगद या किसी अन्य पद्धति से, जो छत्तीसगढ़ के राज्य शासन द्वारा बनाये गये किन्ही अन्य नियमों में विहित हो और ये नियम आयोग को भी लागू होते हों, भी किया जा सकता है
  - (3) पटाये गये शुल्क एवं प्रभारों का उल्लेख, अधिनियम या उस विनियम की धारा सहित, जिसके अधीन भुगतान किया गया हो, याचिका अथवा आवेदन, जो भी हो, उसमें किया जावेगा।
  - (4) आयोग, कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर, या तो स्वप्रेरणा से या प्रकरण के किसी पक्षकार द्वारा उठाई गई आपत्ति पर जमा किये गये शुल्क की पर्याप्तता संबंधी विषय पर विचार कर सकेगा और समुचित आदेश दे सकेगा।
4. आयोग, यदि उचित समझे तो, अनुसूची -1 में विहित शुल्क जमा करने हेतु, किसी पक्ष के लिखित निवेदन पर उसे समय प्रदान कर सकेगा।

## 5. संग्रहीत शुल्क वापस करने की शक्ति

आयोग, किसी मामले विशेष में, यदि वह मामला वापस ले लिया जाता है, किसी पक्ष द्वारा जमा किये गये शुल्क को पूर्णता: या भागतः वापस करने का निर्णय ले सकेगा।

## 6. किसी विशेषज्ञ या सलाहकार की सेवा हेतु शुल्क

यदि आयोग अपने समक्ष विचाराधीन किन्हीं कार्यवाहियों में, मामले के यथोचित निराकरण हेतु किसी विशेषज्ञ या सलाहकार की सेवायें लिये जाने का निर्देश दे, तो वह ऐसी सेवाओं के खर्च को उन कार्यवाहियों के पक्षकार/पक्षकारों से वसूल करने का आदेश दे सकेगा।

## 7. दण्ड/शास्ति वसूली की प्रक्रिया

- (1) अधिनियम की धारा 142 एवं धारा 146 के तहत आयोग द्वारा या अधिनियम की धारा 143 या ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 की धारा 27 के तहत न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा आदेशित दण्ड आयोग के आदेश या न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश की तिथि से 30 दिन, या आयोग अथवा न्यायनिर्णयन अधिकारी, जैसा भी हो, द्वारा बढ़ाई गई समयावधि, के भीतर भुगतान करना होगा।
- (2) दण्ड/शास्ति की राशि का भुगतान इस विनियम की धारा 3(2) के अनुसार ही देय होगा।
- (3) यदि दण्ड/शास्ति निर्धारित समयावधि के भीतर नहीं पटाया जाता, तो आयोग अधिनियम की धारा 170 के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही करेगा।

## 8. अनुज्ञप्ति प्रदान करने पर देय शुल्क

- (1) अधिनियम की धारा 14 के अधीन प्रदत्त प्रत्येक नई अनुज्ञप्ति पर इस विनियम की अनुसूची 1 के अनुसार शुल्क देय होगा।
- (2) सभी वार्षिक शुल्क का भुगतान प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक करना होगा।
- (3) वार्षिक शुल्क की, देरी से भुगतान की गई राशि पर एक प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज देय होगा।
- (4) यदि आयोग इस बात से संतुष्ट हो, कि ऐसे विलंब हेतु समुचित कारण थे, तो वह ब्याज से अभिमुक्ति दे सकेगा।

## 9. टैरिफ (विद्युत दर) में समावेश

इस विनियम के अनुसार जमा किये गये शुल्क या प्रभार की राशि को, अनुज्ञप्तिधारी, टैरिफ निर्धारण खर्च के रूप में लेखा में समाहित कर सकेगा।

परन्तु यह कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत लगाये गये दण्ड/शास्ति और उपरोक्त विनियम 8 (3) के अनुरूप पटाये गये ब्याज की राशि, को टैरिफ निर्धारण में खर्च के रूप में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

## 10. संशोधन करने की शक्ति

आयोग किसी भी समय इस विनियम के किसी उपबंध में परिवर्तन, परिवर्धन, संशोधन या सुधार कर सकेगा।

## 11 कठिनाई दूर करने की शक्तियां

यदि इस विनियम के किन्ही उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो आयोग, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, जो कठिनाईयों को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समाचीन हो और अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो, अनुज्ञप्तिधारी को समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दे सकेगा।

**टीपः—** इस विनियम के हिन्दी संस्करण की अंग्रेजी संस्करण से प्रावधानों की व्याख्या या समझने में अंतर होने की दशा में, अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) का तात्पर्य सही माना जावेगा और इस संबंध में किसी विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार

(एन.के.रूपवानी)  
सचिव

**अनुसूची-1**  
**अधिनियम के अधीन आवेदन/याचिका हेतु शुल्क और प्रभार**

क्र.	वर्णन	शुल्क/प्रभार
1	अधिनियम की धारा 9(2) के द्वितीय परंतुक के अनुसार पारेषण उपलब्धता के संबंध में न्याय निर्णयन हेतु शुल्क, जिसका भुगतान उस व्यक्ति द्वारा किया जावेगा, जिसने ऐसे विवाद को आयोग में प्रस्तुत किया हो।	रु.10,000 चाही गई प्रथम एक मेगावाट पारेषण क्षमता के लिए एवं रु.2000 प्रति अतिरिक्त मेगावाट क्षमता के लिए, जो ज्यादा से ज्यादा रु.1,00,000 होगा।
2	अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति से छूट लेने वाले अनुज्ञप्तिधारी/माने हुए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय वार्षिक शुल्क	रु.5,000
3	अधिनियम की धारा 14 के अनुसार अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पर शुल्क	जैसा राज्य शासन द्वारा विहित दिया जावे
4	अधिनियम की धारा 14 के तहत अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने पर देय अनुज्ञप्ति शुल्क - (ए) विद्युत पारेषण के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में (बी) विद्युत वितरण के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में (सी) विद्युत व्यापार करने के लिए विद्युत व्यापारी के रूप में	(ए) रु. 2,00,000 (बी) रु. 5,00,000 (सी) रु. 5,00,000
5	वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क ( वर्ष 2010-11 से प्रवर्तनीय) :-  (ए) पारेषण अनुज्ञप्ति  (बी) वितरण अनुज्ञप्ति  (सी) व्यापार अनुज्ञप्ति  नोट: (i) वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क वित्तीय वर्ष के शुरू में ही अग्रिम रूप में देय होगा। (ii) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क की गणना, उसके आगामी वित्तीय वर्ष की अनुमोदित/आंकलित कुल पारेषण क्षमता के अनुबंध के अनुसार होगी। (iii) वितरण अनुज्ञप्ति के लिए, उसके वितरण व्यवसाय के भाग के रूप में आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अनुमोदित/आंकलित विद्युत बिक्री के राजस्व के आधार पर, वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क की गणना की जायेगी। (iv) व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क	(ए) वर्ष अथवा उसके अंश के लिए प्रभावशील पारेषण क्षमता के प्रचलित अनुबंध पर रु.1,000 प्रति मेगावाट परन्तु न्यूनतम रु.1,00,000 एवं अधिकतम रु.10,00,000  (बी) विद्युत बिक्री से प्राप्त राजस्व का 0.04 प्रतिशत।  (सी) विद्युत बिक्री से प्राप्त राजस्व का 0.04 प्रतिशत।

	<p>की गणना आंकलित वार्षिक राजस्व (कुल क्रय विक्रय) आधार पर की जावेगी।</p> <p>(v) वास्तविक अनुबंधित पारेषण क्षमता या विद्युत विक्रय से प्राप्त वास्तविक राजस्व, अथवा विद्युत व्यापार का कुल क्रय विक्रय जैसा भी हो, और अनुमोदिन/आंकलन से वास्तविक पारेषण क्षमता अनुबंधों या वास्तविक राजस्व या कुल क्रय विक्रय (जैसा भी हो) के आधार पर निकाले गये राजस्व में यदि कोई अंतर आता है तो अनुज्ञप्ति शुल्क में आधिक्य या कमी का समायोजन बाद के वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क में किया जायेगा।</p>	
6	<p>अधिनियम की धारा 17 के अनुसार पूर्व अनुमोदन हेतु आवेदन</p> <p>(i) जो क्रय, अधिग्रहण द्वारा या अन्य किसी अनुज्ञप्तिधारी के उपक्रम (यूटीलिटी) को अर्जित करने की कार्यवाही के धारा 17 (1) (ए) के अधीन दायित्व लेने या छत्तीसगढ़ राज्य के किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी के उपक्रम में धारा 17 (1) (बी) के अधीन अपने उपक्रम के विलय संबंधी हो,</p> <p>(ii) जो धारा 17 (3) के अधीन अपनी अनुज्ञप्ति या उपक्रम या उसका कोई भाग, विक्रय, पट्टे या किसी अन्य तरीके से विनिमय द्वारा या अन्यथा किसी अन्य तरीके से किसी अन्य को सौंपने से संबंधित हो</p>	<p>रु. 5,00,000</p> <p>रु. 5,00,000</p>
7	<p>अधिनियम की धारा 18 के तहत अनुज्ञप्ति के संशोधन का आवेदन –</p> <p>(ए) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा</p> <p>(बी) ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जो अनुज्ञप्तिधारी न हो</p>	<p>(ए) रु.1,00,000</p> <p>(बी) रु. 10,000</p>
8	<p>अधिनियम की धारा 19 (2) के तहत प्रतिसंहरण हेतु आवेदन</p> <p>(ए) संपूर्ण क्षेत्र हेतु</p> <p>(बी) क्षेत्र के किसी भाग हेतु</p>	<p>(ए) रु. 1,00,000</p> <p>(बी) रु. 50,000</p>
9	<p>धारा 33 (4) के अधीन आवेदन पत्र, यदि विवाद निराकरण हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र या किसी अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भेजा जावे –</p>	<p>रु. 10,000</p>
10	<p>धारा 33 (5) के अधीन किसी अनुज्ञप्तिधारी, उत्पादन कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति पर शास्ति अधिरोपित करने हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र</p>	<p>रु. 5,000</p>
11.	<p>(ए) अधिनियम की धारा 35 के तहत बीच में पड़ रही पारेषण सुविधाओं का उपयोग करने हेतु आवेदन</p> <p>(बी) अधिनियम की धारा 35 के उपबंध के तहत उपलब्ध अतिशेष क्षमता की मात्रा के बारे में विवाद पर अधिनिर्णय</p>	<p>(ए) रु. 20,000</p> <p>(बी) रु. 1,00,000</p>
12	<p>अधिनियम की धारा 39 एवं 40 के अनुसार बिना भेदभाव के मुक्त उपयोग में विवाद की स्थिति में अधिनिर्णयन –</p> <p>(ए) जब नीचे (बी) में समाहित को छोड़कर किसी अन्य उत्पादन कंपनी द्वारा विवाद सौपा जावे</p> <p>(बी) जब कैप्टिव उत्पादन संयंत्र द्वारा कैप्टिव खपत हेतु</p>	<p>(ए) रु. 1,00,000</p> <p>(बी) रु. 25,000</p>

	<p>और/या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित उत्पादन संयंत्र या सहउत्पादन संयंत्र द्वारा सौपा जावे</p> <p>(सी) जब उपभोक्ता द्वारा सौपा जावे</p>	(सी) रू. 25,000
13	<p>अधिनियम की धारा 42 (2), (3) एवं (4) और उसके अंतर्गत विनिर्दिष्ट विनियमों के अनुसार बिना भेदभाव के मुक्त उपयोग में विवाद की स्थिति में अधिनिर्णय –</p> <p>(ए) जब अनुज्ञप्तिधारी या नीचे (बी) में समाहित कंपनी को छोड़कर किसी अन्य उत्पादन कंपनी द्वारा विवाद सौपा जावे</p> <p>(बी) जब केप्टिव उत्पादन संयंत्र जो सीधे वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वितरण व्यवस्था से जुड़ी है द्वारा केप्टिव खपत हेतु या नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों पर आधारित उत्पादन संयंत्र या सह उत्पादन संयंत्र द्वारा सौपा जावे</p> <p>(सी) जब उपभोक्ता द्वारा सौपा जावे</p>	<p>(ए) रू. 1,00,000</p> <p>(बी)रू. 25,000</p> <p>(सी)रू. 25,000</p>
14	अधिनियम की धारा 45 एवं 46 के अंतर्गत वितरण अनुज्ञप्तिधारी की प्रभारों की अनुसूची के अनुमोदन का आवेदन	रू. 2,00,000
15	<p>(ए)उत्पादन कंपनी द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत देने के लिए धारा 62(1) (ए) के अनुसार टैरिफ निर्धारण हेतु शुल्क</p> <p>(i) पारम्परिक ईंधन (कोयला, तेल, इत्यादि) के संयंत्र</p> <p>(ii) नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों पर आधारित उत्पादन कंपनी सह- उत्पादन सहित</p> <p>(बी) धारा 62 (1) (बी) के अनुसार वार्षिक/आधार वर्ष का विद्युत पारेषण के टैरिफ निर्धारण के लिए शुल्क</p> <p>(सी) धारा 62(1)(डी) के अनुसार विद्युत की फुटकर बिक्री हेतु वार्षिक/आधार वर्ष के लिए विद्युत टैरिफ निर्धारण पर शुल्क</p> <p>(डी) समन्वित इकाई (utility) के लिए टैरिफ निर्धारण पर शुल्क</p>	<p>(i) 100 मेगावाट की क्षमता के संयंत्रों तक रू. 5,00,000 एवं प्रत्येक अतिरिक्त मेगावाट या उसके भाग पर रू.1000 प्रति मेगावाट</p> <p>(ii) प्रथम 10 मेगावाट तक रू. 1,00,000 एवं प्रत्येक अतिरिक्त मेगावाट या उसके भाग पर रू.1000 प्रति मेगावाट</p> <p>(बी) (i) राज्य पारेषण उपक्रम (एस.टी.यू.) के लिए रू. 10,00,000</p> <p>(ii) अन्य पारेषण अनज्ञप्तिधारी हेतु रू. 2,00,000</p> <p>(सी) (i) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के लिए रू. 10,00,000</p> <p>(ii) अन्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए रू. 2,00,000</p> <p>(डी) रू. 25,00,000</p>

	<b>नोट:</b> टैरिफ अवधारण हेतु उपरोक्त शुल्क अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन देने पर या किसी व्यक्ति के आवेदन पर या आयोग द्वारा स्वप्रेरणा से निर्धारण पर लिया जावेगा।	
16.	कार्य संचालन विनियमों में यथा प्रावधित निवेश अनुमोदन हेतु आवेदन	प्रत्येक पांच करोड़ रुपये अथवा उसके किसी भाग के निवेश हेतु रु. 1,000
17.	अनुज्ञप्तिधारी/उत्पादन कंपनी की व्यापार योजना का अनुमोदन	रु. 20,000
18.	बोली लगाने की प्रक्रिया के अनुमोदन (बोली लगाने की मानक प्रक्रिया से विचलन की दशा में) हेतु अधिनियम की धारा 63 के अधीन आवेदन:- (ए) पारंपरिक ईंधन (कोयला, तेल इत्यादि) पर आधारित संयंत्र/लघु जल विद्युत संयंत्रों को छोड़कर अन्य जल विद्युत संयंत्र  (बी) नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों पर आधारित संयंत्र, जिसमें लघु जल विद्युत संयंत्र भी सम्मिलित है	(ए) न्यूनतम रु. 25,000 तथा अधिकतम रु. 5,00,000/- के अध्यक्षीन रु. 1000 प्रति मेगावाट  (बी) उपरोक्त का 50 रु.%
19.	अधिनियम की धारा 67 की उप धारा 4 तथा 5 के अधीन उत्पन्न विवाद (पथ, रेलमार्ग आदि की मिट्टी और फर्श आदि खोलना, हटाना) के निपटारे हेतु आवेदन	रु. 25,000
20.	वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत क्रय या विद्युत की प्राप्ति की कार्यवाही या कीमत का अनुमोदन तथा विद्युत क्रय अनुबंध के अनुमोदन के लिए धारा 86 (1) (बी) के अधीन याचिका/आवेदन हेतु शुल्क (ए) पारंपरिक ईंधन (कोयला, तेल इत्यादि) पर आधारित संयंत्र/लघु जल विद्युत संयंत्रों को छोड़कर अन्य जल विद्युत संयंत्र  (बी) नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों पर आधारित संयंत्र, जिसमें लघु जल विद्युत संयंत्र भी सम्मिलित है (सी) केवल विद्युत क्रय अनुबंध के अनुमोदन हेतु	(ए) रु. 5,000 प्रति मेगावाट (कम से कम रु.50,000 एवं अधिकतम रु. 10,00,000 के अध्यक्षीन)  (बी) उपरोक्त के 50 प्रतिशत राशि  (सी) रु. 10,000
21.	अधिनियम की धारा 86 (1) (एफ) में वर्णित किसी भी विवाद के अधिनिर्णय, अनुज्ञप्तिधारी व उत्पादन कम्पनी के बीच एवं आपस में अनुज्ञप्तिधारियों के बीच विवाद का निपटारा (i) यदि विवाद में कोई ऐसे दावा शामिल हो जिसे धन के रूप में दर्शाया जा सकता हो और वह आयोग द्वारा अधिनिर्णित किया जावे। (ii) ऐसे अन्य सभी मामलों में जिसमें कोई वित्तीय दावा विवाद में न हो (iii) यदि विवाद किसी मध्यस्थ को संदर्भित किया जावे	(i) देय शुल्क शामिल धन का दो प्रतिशत अधिकतम रु. 10,00,000/- और न्यूनतम रु. 50,000/- के अध्यक्षीन (ii) रु. 25,000/-  (iii) मध्यस्थ को देय शुल्क के अतिरिक्त रु. 25,000/-
22.	परिवर्तनीय लागत समायोजन प्रभार के लिए आवेदन शुल्क	रु. 50,000



23	<p>आयोग के टैरिफ निर्धारण आदेश के पुनर्विलोकन का आवेदन</p> <p>(i) अनुज्ञापतिधारी द्वारा</p> <p>(ii) किसी संस्था/संगठन/कम्पनी के द्वारा</p> <p>(iii) उपरोक्त (ii) से भिन्न अन्य व्यक्तिगत उपभोक्ता के द्वारा</p>	<p>(i) टैरिफ निर्धारण के मूल आवेदन के समय भुगतान किये गये शुल्क का 10 प्रतिशत।</p> <p>(ii) रु. 25,000</p> <p>(iii) रु. 10,000</p>
24	मुख्य विद्युत निरीक्षक के निर्णय के विरुद्ध अपील धारा 162 (2) के अंतर्गत	रु.25,000
25	<p>धारा 142 के अधीन आवेदन पत्र</p> <p>(i) यदि आवेदन, किसी उत्पादक या अनुज्ञापतिधारी या किसी संस्था, कंपनी (कृत्रिम व्यक्ति) द्वारा दिया जावे</p> <p>(ii) किसी व्यक्ति द्वारा दिया जावे</p> <p>(iii) विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम या विद्युत लोकपाल के आदेश का पालन न किये जाने के मामले में</p>	<p>रु. 1,000 /—</p> <p>रु. 500 /—</p> <p>कोई शुल्क नहीं</p>
26	<p>ऊर्जा संरक्षण संरक्षण अधिनियम 2001 की धारा 27 के अधीन याचिका</p> <p>(i) यदि आवेदन, किसी उत्पादक या अनुज्ञापतिधारी या किसी संस्था, कंपनी (कृत्रिम व्यक्ति) द्वारा दिया जावे</p> <p>(ii) किसी व्यक्ति द्वारा दिया जाने कोई शुल्क</p> <p>(iii) समुचित सरकार या उसके किसी अधिकारी द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आवेदन दिया जावे</p>	<p>रु. 1,000 /—</p> <p>रु. 500 /—</p> <p>कोई शुल्क नहीं</p>
27	आयोग के आदेशों के पुनर्विलोकन का आवेदन, जो इस अनुसूची में अन्यत्र उल्लेखित नहीं है	रु. 10,000
28	<p>विविध आवेदन अर्थात ऐसे आवेदन जिसका अनुसूची में अन्यत्र उल्लेख न हो –</p> <p>(ए) अनुज्ञापतिधारी द्वारा आवेदन</p> <p>(बी) व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा आवेदन</p> <p>(सी) व्यक्तिगत एवं अन्य का आवेदन</p>	<p>(ए) रु.10,000</p> <p>(बी) रु.5,000</p> <p>(सी) रु.1,000</p>

**अनुसूची-2**  
**विविध आवेदनों के लिए शुल्क एवं प्रभार**

क्र.	वर्णन	शुल्क / प्रभार
1.	किसी विषय में हस्तक्षेप करने हेतु आवेदन पत्र (ए) किसी उत्पादक या अनुज्ञप्तिधारी या व्यापारी द्वारा (बी) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा	रु. 1,000 / - रु. 500 / -
2	किसी व्यक्ति को याचिका में पक्षकार के रूप में सम्मिलित करने हेतु आवेदन	रु. 500 / -
3	(i) एक पक्षीय आदेश को अपास्त करने या एक पक्षीय कार्यवाहियों को निरस्त करने (ii) किसी चूक के कारण खारिज हुए प्रकरण के पुनर्स्थापन हेतु आवेदन	रु. 1,000 / -
4	याचिका में संशोधन हेतु आवेदन	याचिका के साथ पूर्व में प्रस्तुत शुल्क का 10 % न्यूनतम प्रभार 1,000 / - रु के अध्यक्षीन रहते हुए
5	याचिका की प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु आवेदन (ए) किसी अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा (बी) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा	रु. 1,000 / - रु. 500 / -
6.	किसी कार्यवाही या आदेश का निष्पादन किसी प्रकरण विषय या अपील के लंबित रहने की अवधि तक स्थगित करने हेतु आवेदन (ए) किसी अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा (बी) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा	रु. 1,000 / - रु. 500 / -
7	अंतर्वर्ती प्रकृति का कोई अन्य आवेदन, जो ऊपर दी गई श्रेणियों में सम्मिलित नहीं है (ए) किसी अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा (बी) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा	रु. 1,000 / - रु. 500 / -
8	दस्तावेज / प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन	रु. 10 / - प्रति आवेदन
9	आयोग के आदेश / दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ	रु. 2 / - प्रति पेज